न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

223RTA2018-00076Ju2018-32 Din Mohmmad ors Vs Mohmmad Sharif etc

---

01. दीन मोहम्मद पुत्र जीवण खॉं
02. अब्दुल गनी उर्फ गनी खॉं पुत्र मेहमूद खॉं
03. नसीर पुत्र इमाम खॉं
04. निहाल खॉं पुत्र हकीम खॉं
सभी जातियान् मुसलमान, निवासीगण हाजीपुरा (ननेऊ) तहसील फलौदी जिला फलोदी, हाल तहसील बाप जिला फलोदी।

अपीलाण्ट्स...

ब

ना

म

01. मोहम्मद शरीफ पुत्र इसे खॉं,
02. फतेह मोहम्मद पुत्र गुलाब खॉं
03. अब्दुल शकूर पुत्र मुसे खॉं (हाजी)
04. अब्दुल रहमान पुत्र इमाम खॉं
05. अब्दुल लतीफ उर्फ लतीफ पुत्र अलाबचाया
सभी जाति मुसलमान, निवासीगण हाजीपुरा (ननेऊ) तहसील फलौदी जिला फलोदी।
06. सुखराम पुत्र मोबताराम जाति विश्नोई निवासी– सुरपूरा तहसील फलौदी जिला फलोदी।
07. अलादीन पुत्र श्री गुलाब खॉं
08. आलमी पत्नी कायमदीन
09. गाजी खॉं पुत्र नूरदीन
10. अब्दुल करीम पुत्र नूरदीन
11. हलीम पुत्र नूरदीन
12. बिलाल पुत्र नूरदीन
13. इब्राहिम पुत्र नूरदीन
14. रईस पुत्र नूरदीन
15. नूर खां उर्फ नूर मोहम्मद पुत्र गुलाब खॉं
सभी जातियान मुसलमान, निवासीयान– हाजीपुरा (ननेऊ) तहसील फलौदी जिला फलोदी।
16. फगलूराम पुत्र भीखाराम जाति विश्नोई, निवासी– जाम्बा तहसील फलौदी जिला फलोदी।
17. बसीर खां पुत्र श्री अलाबचाया
18. बिस्मिला पत्नी मेरदीन
19. मलूक खां पुत्र अलाबचाया
20. मुसे खां पुत्र अब्दुल गनी
21. शहजादी पत्नी आमदीन
22. सईदा पत्नी अब्दुल लतीफ
23. सफी मोहम्मद पुत्र अलाबचाया
24. समसदीन पुत्र हकीम खां
25. सरीफ पुत्र जमालदीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

26. हासम खां पुत्र अलाबचाया
    सभी जातियान मुसलमान, निवासीयान– हाजीपुरा (ननेऊ) तहसील फलौदी जिला फलोदी।
27. एस. बी. बी. जे. शाखा सिड़ड
28. भू.वि. बैंक लि० जोधपुर शाखा फलौदी
29. श्रीमान तहसीलदार फलौदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिकी सहायक कलेक्टर बाप दिनांक 30 जनवरी 2018 राजस्व वाद संख्या 204/2013 दीन मोहम्मद व अन्य बनाम मोहम्मद शरीफ इत्यादि

---------- 0 ----------

उपस्थित--
श्री किसनाराम विश्नोई, अधिवक्ता--अपीलाण्ट्स
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता--रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन
श्री सांवलराम, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या चार, आठ, अठारह, बीस एवं इक्कीस
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या उनतीस

नि र्ण य

दिनांक : 15 अप्रैल 2025

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर बाप द्वारा राजस्व वाद संख्या 204/2013 दीन मोहम्मद व अन्य बनाम मोहम्मद शरीफ इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30 जनवरी 2018 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत 20 फरवरी 2018 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/वादीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 194 रकबा 725.16 बीघा ग्राम नेनउ के संबंध में एक वाद खातेदारी घोषणा, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया। उपरोक्त वाद में प्रतिवादीगण की तरफ से धारा 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वादीगण/अपीलार्थीगण का वाद खारिज कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिया गया, जिसके विरूद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता--अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट्स की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

समक्ष प्रस्तुत वाद में अपीलान्ट्स द्वारा खातेदारी घोषणा, बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना पत्रावली का अवलोकन किये ही अपीलान्ट्स का वाद धारा 11 सी.पी.सी के तहत विधि बाधित मानकर बिना किसी आधार के ही खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस फर्जी आदेश को आधार मानकर धारा 11 सी.पी.सी. के तहत आदेश पारित किया गया था, उस आदेश दिनांक 14.12.1974 की संबंधित तहसील कार्यालय से नकल प्रार्थना पत्र पेश कर नकल की मांग की गई, किन्तु तहसीलदार फलौदी द्वारा यह कहकर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया कि इस प्रकार की पत्रावली उपलब्ध नहीं है। अपीलांट्स की ओर से तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र खारिजी आदेश की प्रति विचारण न्यायालय के समक्ष पेश कर निवेदन किया गया कि इस प्रकार कोई आदेश पारित ही नहीं हुआ है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश वैध मानकर वादीगण/अपीलान्ट्स का वाद खारिज कर दिया। यह उल्लेखनीय है कि वादीगण/अपीलान्ट्स के वाद में बंटवाडा के साथ–साथ घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा का भी अनुतोष था। वादग्रस्त आराजी के संबंध में पूर्व में पारित आदेश दिनांक 14.12.1974 में खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा के बारे में कोई फाईडिंग नहीं दी गई। इस कारण पूर्ववर्ती आदेश को आधार मानकर वादी का संपूर्ण वाद खारिज नहीं किया जा सकता था, क्योंकि पूर्ववर्ती फर्जी आदेश जो वाद की परिभाषा में ही नहीं आता है, को आधार मानकर वादी का वाद कतई खारिज नहीं किया जा सकता था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण/ रेस्पोडेन्ट्स द्वारा बंटवाडा दिनांक 14.12.1974 के आदेश की कोई सत्यप्रति प्रस्तुत नहीं की गई, केवल म्यूटेशन के अन्तिम कोष्ठक में पटवारी द्वारा जो इन्द्राज किया गया था, उस म्यूटेशन की फोटोप्रति पेश की गई, जिसमें न तो आदेश क्रमांक अंकित है और न ही न्यायालय का नाम अंकित था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण की फोटोप्रति को आधार मानकर वादी/अपीलान्ट का वाद धारा 11 सी.पी.सी से प्रभावित मानकर खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा दस्तावेजों को मिसरिड करने में भारी तथ्यों व कानूनी भूल कारित की गई है। यह उल्लेखनीय है कि वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत करने के बाद पत्रावली जवाब तथा तलबी में चल रही था। नियमानुसार किसी पक्षकार द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया था और न ही तनकियात विरचित की जाकर साक्ष्य ली गई। साक्ष्य लेने के पश्चात् ही धारा 11 सीपी.सी. के प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही की जा सकती

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

थी अर्थात् बिना साक्ष्य के रेस–ज्यूडिकेटा का नियम लागू ही नहीं होता है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 11 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी का वाद खारिज कर दिया गया जो सरासर विधि विरूद्ध किया गया। रेस–ज्यूडिकेटा का नियम केवल उन मामलों में ही लागू होता है जिसमें प्रथम दोनों वादों में पक्षकार समान हो, द्वितीय दोनों वादों की विषयवस्तु एक हो, दोनो पक्षों में वाद अन्तिम रूप से तय हो चुका हो, पूर्ववाद किसी सक्षम न्यायालय द्वारा तय किया गया हो। इस प्रकरण में उपरोक्त एक भी शर्त लागू नहीं होती, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली को बिना देखे ही आदेश पारित कर दिया गया जो क्षेत्राधिकार से बाहर होने से निरस्त करने योग्य है।

वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस जारी रखते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 194 रकबा 725 बीघा 16 बिस्वा की खातेदारी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के तहत तहसीलदार फलौदी द्वारा दिनांक 12.11.1960 का अपने आदेश द्वारा दी गई। उक्त आदेश का अंकन म्यूटेशन संख्या 32 जो स्वयं तहसीलदार फलौदी द्वारा स्वीकार किया तथा वक्त खातेदारी अपीलान्ट तथा रेस्पोडेन्ट का हिस्सा अलग से दर्ज किया गया था। आदेश तथा म्यूटेशन संख्या 32 के अनुसार अपीलान्ट्स का हिस्सा 2/3 तथा रेस्पोडेन्ट्स का हिस्सा 1/3 दर्ज था। इस कारण से इस वाद से पूर्व अपीलान्ट्स को किसी बंटवाडे की आवश्यकता ही नहीं थी। रेस्पोडेन्ट्स तथा सरकारी कर्मचारियों द्वारा बदनियती से अपीलान्ट्स का हिस्सा प्रभावित करने की नियत से म्यूटेशन संख्या 222 के अन्तिम कॉलम में बंटवाडा आदेश का फर्जी हवाला देकर अपीलान्ट का हिस्सा कम कर दिया गया, जबकि बंटवाडा आदेश के द्वारा केवल बंटवाडा किया जा सकता है, पक्षकार का हिस्सा बंटवाडा आदेश के द्वारा कतई नहीं बदला जा सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना आलौच्य निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है जो अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे तथा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे। वकील अपीलांट्स द्वारा अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.डी. मई 2005 पेज 281, आर.आर.डी. अगस्त 2002 पेज 462, आर.आर.टी. 2011(1) पेज 386, आर.आर.डी.1996 पेज 107 की न्यायिक नजीरे पेश की।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में पक्षकारान् द्वारा पूर्व में पारिवारिक बंटवाड़ा कर लिया गया था, तहसीलदार फलोदी के बंटवाड़ा आदेश दिनांक 14.12.1974 की पालना में नामांतरकरण संख्या 222 स्वीकृत किया जाकर पक्षकारान् के खाते अलग-अलग कर दिये गये। तत्पश्चात कुछ पक्षकारान् द्वारा अपने हिस्से की भूमियों का बेचान कर दिये जाने से वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में नवीन खातेदारों के नाम का इन्द्राज हुआ। सन् 1985 में रेस्पोडेंट्स द्वारा भूमि खरीद के वक्त अपीलांट्स को उक्त पूर्व बंटवाड़े की पूर्णतया जानकारी थी। यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 30.12.1993 को वादीगण की ओर से तहसीलदार फलोदी के समक्ष लिखित बंटवाड़ा प्रस्तुत किया था, फिर भी इनके द्वारा नवीन वाद प्रस्तुत कर दिया गया। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का वाद धारा 11 सीपीसी के प्रावधानों से बाधित होने से विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर विधिसम्मत रूप से वाद खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक उद्धरणों का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में गहन परिशीलन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन मुताबिक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण के वाद को वादग्रस्त आराजी के संबंध में पूर्व में सक्षम न्यायालय तहसीलदार फलोदी द्वारा आदेश दिनांक 14.12.1974 के जरिये बंटवाड़ा स्वीकृत किये के आधार पर वादीगण का वाद धारा 11 सीपीसी के प्रावधानों के तहत पूर्व न्याय के सिद्धांत (रेस-ज्यूडिकेटा) से बाधित मानते हुए वाद खारिज किया जाना पाया जाता है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नामांतरकरण संख्या 222 के अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त नामांतरकरण तहसीलदार फलोदी द्वारा पारिवारिक बंटवाड़ा आदेश दिनांक 14.12.1974 की पालना में स्वीकृत किया गया है। नामांतरकरण संख्या 222 तहसीलदार फलोदी के जिस आदेश दिनांक 14.12.1974 की पालना में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

स्वीकृत किया गया है, उस आदेश की प्रति विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स की ओर से अपने वाद में वादग्रस्त आराजी के संबंध में विभाजन के साथ–साथ खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का भी अनुतोष चाहा गया है। तहसीलदार फलोदी के आदेश दिनांक 14.12.1974 में खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के बारे मे किसी प्रकार का कोई आदेश पारित किया जाना विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

धारा 11 सीपीसी में स्पष्टीकरण दिया गया है कि –**वादपत्र में दावा किया गया कोई अनुतोष, जो डिक्री द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया है, इस धारा के प्रयोजनों के लिए अस्वीकार किया गया समझा जाएगा।** ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा अपने वाद में खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष पर धारा 11 सीपीसी के प्रावधान बाध्यकारी नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर गौर किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाना पाया जाता है। इन परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योगय नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आलोक में अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर बाप द्वारा राजस्व वाद संख्या 204/2013 दीन मोहम्मद व अन्य बनाम मोहम्मद शरीफ इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30 जनवरी 2018 खारिज किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मामले में उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए मूल वाद का वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत गुणावगुण पर विधिसम्मत निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर